स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2015

सा.का.नि.161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981, को, जहां तक उसका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में डार्क रूम सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली, में डार्क रूम सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, डार्क रूम सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डार्क रूम सहायक	02* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5,200-20,200 रु.+ ग्रेड वेतन रु. 2000	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

(6)
टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :-**रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ; (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विकिरण चित्रण (दो वर्षीय अवधि) का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा । **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)
टिप्पण 3 : राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसार अभ्यर्थी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए और यदि उसे हिंदी का ज्ञान नहीं है तो उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे अर्जित करना होगा ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली —अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज —सदस्य 3. उप-निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली —सदस्य 4. उप-निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग प्रभारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-11018/10/2013-भर्ती नियम (एम.एच.-III)]

संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th August, 2015

G.S.R.161.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Dark Room Assistant in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dark Room Assistant in the Lady Hardinge Medicai College and Smt. Sucheta Kripiani Hospital, New Delhi namely.-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Dark Room Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale . —The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under is the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex- servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time - to -time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dark Room Assistant	2* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5200–20200 plus grade pay of Rs. 2000	Not applicable	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in case of general candidates and up to forty five years in case of candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to-time).

		(6)
		Note1 : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep). **Note 2:**The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange, shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(a) 12th class pass with Science from a a recognised Board. (b) Certificate or Diploma in Radiography (Two years duration) from a recognised Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for.reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent	Not applicable	Two years

(7)
authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Note 3:** According to rule 10 of the Official Language Rules 1976, framed under the Official Language Act, 1963, the candidate should have the working knowledge of Hindi and if he does not have the knowledge of Hindi, he shall acquire the same during his probation period.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) Consisting of :— 1. Director, Lady Hardinge Medical College, New Delhi —Chairman 2. Head of concerned Department, Lady Hardinge Medical College, New Delhi —Member 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College, New Delhi- —Member 4. Deputy Director Administration, In charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services, New Delhi —Member	Not applicable.

[F. No. A.11018/10/2013-RR(MH-III)]

SANJAY PANT, Under Secy.